विद्युत उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम, (द.वि.वि.नि.लि.),

कानपुर मण्डल, कानपुर ।

परिवाद संख्या - 57/2021

इन्डस टावर लि., छठवी फ्लोर, बी.बी.डी. विराज टावर,
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)

------- परिवादी /आवेदक

बनाम

अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड (द.वि.वि.नि.लि.)
पुखरायां, कानपुर देहात ।

-------विपक्षी

अध्यासीन (उपस्थित) : (1) श्री संतोष कुमार तिवारी (कार्यवाहक अध्यक्ष/तकनीकी सदस्य)
(2) श्री संजीव कुमार गुप्ता (सदस्य/अनु.)

निर्णय

इन्डस टावर लि., छठवी फ्लोर, बी.बी.डी. विराज टावर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) द्वारा इनर्जी कन्ट्रोलर ने अपने विद्वान अधिकृत अधिवक्ता मो. कौसर जाँह द्वारा दिनांक 22.11.2021 को अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, पुखरायां, कानपुर देहात (दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड) के विरूद्ध अपने संयोजन सं. 781726626091 के संम्बंध में त्रुटिपूर्ण मीटर एवं विद्युत बिलों में संशोधन के सम्बंध में इस फोरम के समक्ष परिवाद दाखिल किया गया है। परिवाद में मूख्यरूप से निम्न बिन्दुओं पर बल दिया गया हैः-

(a) विद्युत विलों की धनराशि में विद्युत वितरण कोड 2005 के धारा 6.5 (c) के अनुसार संशोधन किया जाये ।

(b) अधिक जमा की गयी धनराशि का समायोजन आगामी विलों में विद्युत वितरण कोड 2005 की धारा 6.5 (c) के अनुसार किया जाय ।

(c) विपक्षी को विद्युत वितरण कोड 2005 की धारा 6.5 (b) (i) के अनुसार विलम्ब अधिभार (LPSC) को माफ करने हेतु निर्देशित किया गया ।

(d) वाद खर्च के भुगतान हेतु आदेश पारित किया जाय ।

(e) अन्य कोई आदेश जिससे उपभोक्ता का अधिकार संरक्षित रहे ।

इण्डस टावर लि. बलराजपुर, पुखरायां, कानपुर देहात का संयोजन सं. 781726626091 स्वीकृत भार 16.67 KW का Previous Arrear और Previous Surcharge रु. 28,881/- था ।

आगे जारी है ।

विपक्षी ने जवाबदावा (का.सं. 5/1 ता 5/3) दाखिल किया है। धारा 1 के कथन विवादित नहीं हैं। धारा 2 के कथन जिस प्रकार से उल्लेखित किए गये हैं असत्य व अस्वीकार हैं। परिवादी के द्वारा अपने कथन के समर्थन में टेली कम्यूनिकेशन डिपार्टमेंट से जारी फर्म / परिवादी के पंजीकरण प्रमाण पत्र की कोई प्रतिलिपि पत्रावली प्रस्तुत नहीं की है जिसके कारण परिवादी का कथन पूर्णतया गलत है तथा इस आधार पर परिवाद खारिज किये जाने योग्य है। धारा 3 के कथन जिस प्रकार से उल्लेखित किए गये हैं उसमें कहना है कि कथन 3 विधिक प्रावधानों के सम्बन्धित है जिसमें कोई अतिरिक्त कथन करने अवश्यकता नहीं है। धारा 4 के कथन में यह स्वीकार हैं कि परिवादी के द्वारा अपने नाम से विद्युत कनेक्शन खाता संख्या 781726626091 विपक्षी / प्रतिवादी से प्राप्त किया था। यह कनेक्शन वाणिज्यिक विधा के श्रेणी में आता है। जिसका स्वीकृत भार 22.222 के. वी. ए है। धारा 5 के कथन जिस प्रकार से उल्लेखित किए गये हैं असत्य व अस्वीकार है। परिवादी को बिल दर माह सही मीटर की रीडिंग के आधार पर जारी किये जा रहे थे व है। धारा 6 के कथन जिस प्रकार से उल्लेखित किए गये हैं अस्वीकार हैं। परिवादी के द्वारा माह दर माह के बिलों का भुगतान न होने के कारण उसके ऊपर बिद्युत बकाया धनराशि बढ़ जाती है तथा बकाया धनराशि पर लेट पेमेन्ट सरचार्ज उ.प्र. विद्युत नियामक आयोग के देय नियमों के अनुसार लगाया जाता है। परिवादी के द्वारा माह अप्रैल 2019 से पूर्व की बकाया धनराशि के भुगतान किये बिल की कोई रसीद की फोटो प्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं की है। यहाँ यह बताना आवश्यक है कि परिवादी द्वारा यदि विद्युत का उपभोग स्वयं नहीं किया जाता है अथवा बकाये के आधार पर विच्छेदित कनेक्शन पर विद्युत कनेक्शन पर विद्युत बकाये का भुगतान न करने के कारण विद्युत का उपभोग करने में असमर्थ है। उस परिस्थित में भी परिवादी द्वारा न्यूनतम विद्युत बिलों का भुगतान करने की जिम्मेदार है। परिवादी का विद्युत कनेक्शन अप्रैल 2019 में बकाया धनराशि पर विच्छेदित किया गया था। उस समय बकाया धनराशि रु. 28,881/- थी। बकाया धनराशि को दर्शित करने वाले लेजर की फोटो प्रतिलिपि जवाबदावे का संलग्नक 1 है। धारा 7 के कथन विधिक है जिनके संदर्भ में कोई कथन करने की अवश्यकता नहीं है। धारा 8 के कथन पूर्णतया असत्य व अस्वीकार हैं। परिवादी को माह दर माह के बिल जारी किए गये हैं जिस बिल का भुगतान उसके द्वारा नहीं किया गया है उस माह की बिल धनराशि का अगले माह के बिल में मय लेट पेमेन्ट सरचार्ज सहित जुड़कर अगले माह के बिल में प्रदर्शित होती है। जिसके कारण परिवादी विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56(2) के परन्तुक का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। धारा 9 के कथन पूर्णतया असत्य व अस्वीकार हैं। परिवादी की विद्युत सप्लाई 18 घण्टे अथवा ज्यादा घण्टों की है। जिसके कारण उसका बिल शहरी फीडर की सप्लाई के अनुसार बनाया जाता है जो कि पूर्णतया सही है। धारा 10 के कथन पूर्णतया असत्य व अस्वीकार हैं। परिवादी के द्वारा मीटर खराब होने से सम्बन्धित कोई भी शिकायत पत्र परिवादी अथवा उसके प्रतिनिधि के द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही परिवादी के द्वारा कोई प्रलेख अथवा प्रतिलिपि उक्त कथन के समर्थन में परिवाद पत्र के साथ प्रस्तुत की है। जिसके कारण परिवादी का कथन पूर्णतया असत्य व अस्वीकार है। परिवादी यदि अपना मीटर चेक कराना अथवा बदलवाना चाहता था तो उसको मीटर चेकिंग शुल्क अथवा मीटर का निर्धारित शुल्क जमा कर बदलवाने का अधिकार प्राप्त था। धारा 11 के कथन कुछ विधिक है तथा शेष कथन तत्यों पर है। जो कि असत्य व अस्वीकार है। विधिक कथनों के संदर्भ में कोई कथन करने का आवश्यकता नहीं है। धारा 12 के कथन आंशिक रुप से विधिक है। जिनके संदर्भ में कथन करने की आवश्यकता नहीं है। शेष कथन असत्य व अस्वीकार है। परिवादी को बिल सही मीटर के आधार पर जारी किये जा रहे है। धारा 13 के कथन आंशिक विधिक हैं तथा शेष कथन

आगे जारी है।

असत्य व अस्वीकार है। परिवादी को बिल मीटर के रीडिंग के हिसाब से जारी किये जाते है। किन्तु फिर भी यदि कोई बिल परिवादी को त्रुटिपूर्ण उपभोक्ता को लगता है तो वह अपना विवादित बिल को क्लाज 6 उ.प्र. विद्युत सप्लाई कोड 2005 के तहत सुधार हेतु मय प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर सकता है। किन्तु फिर भी संशोधित बिल गलत लगता है तो वह अन्तर्गत विरोध विवादित धनराशि को जमा कर पुनः प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकता है। किन्तु ऐसी प्रक्रिया का प्रयोग परिवादी के द्वारा कभी नहीं किया गया तथा परिवाद सीधे मा. फोरम में प्रस्तुत कर दिया गया है। धारा 14 के कथन पूर्णतया अस्वीकार है। परिवादी को पूर्ण अधिकार अपने कथनो को प्रस्तुत करने का प्रदान किया जाता है तथा समानता के अधिकार को ध्यान में रखते हुये समस्त उपभोगताओं के लिये एक सी कार्यवाही विपक्षी के कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा की जाती है। धारा 15 के कथन में अभिलिखित किया गया है कि परिवादी के द्वारा उपरोक्त परिवाद झूठे एवं मनगढ़न्त तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। जो कि पोषणीय नहीं है तथा निरस्त किये जाने योग्य है। परिवादी के ऊपर बकाया धनराशि अप्रैल 2019 में रु. 28,881/- थी। यदि परिवादी अपना विद्युत कनेक्शन पुनः चालू कराना चाहता है तो बकाया धनराशि रु. 28,881/- को मय मिनिमम चार्ज व लेट पेमेन्ट सरचार्ज के देने की जिम्मेदारी परिवादी की होगी। परिवादी का विद्युत कनेक्शन पर विद्युत सप्लाई शहरी विद्युत सप्लाई की तरह 18 घण्टे प्रदान की जाती रही है। जिसके कारण उसकी बिलिंग शहरी टैरिफ के अनुसार की जा रही है। तथा उसका बिल पूर्णतया सही है। धारा 16 के कथन में अभिलिखित किया गया है कि परिवादी के द्वारा बकाया बिद्युत बिल का भुगतान नहीं किया जायेगा तो उ. प्र. विद्युत संस्था देयों की वसूली अधिनियम 1958 की धारा 3 के तहत डिमाण्ड नोटिस जारी कर वसूली प्रमाण पत्र कलेक्टर कानपुर देहात को भेजने का प्रावधान है।

<u>निष्कर्ष</u>

परिवादी के अधिकृत विद्वान अधिवक्ता मो. कौसर जाँह को पूर्व में तथा विपक्षी अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, पुखरायां, कानपुर देहात के अधिकृत विद्वान अधिवक्ता के को सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया।

इस परिवाद को निस्तारित करने हेतु निम्न लिखित बिन्दु बनाया गया :-

(1) परिवादी के द्वारा अपने नाम से विद्युत कनेक्शन खाता संख्या 781726626091 विपक्षी से दिनांक 07.03.2009 को प्राप्त किया था। यह कनेक्शन वाणिज्यिक विधा के श्रेणी में आता है। जिसका स्वीकृत भार 22.222 के. वी. ए है। परिवादी को बिल दर माह सही मीटर की रीडिंग के आधार पर जारी किये जा रहे थे व है। परिवादी के द्वारा माह अप्रैल 2019 से पूर्व की बकाया धनराशि के भुगतान किये बिल की कोई रसीद की फोटो प्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं की है। परिवादी का विद्युत कनेक्शन अप्रैल 2019 में बकाया धनराशि पर विच्छेदित किया गया था। उस समय बकाया धनराशि रु. 28,881/- थी। बकाया धनराशि को दर्शित करने वाले लेजर की फोटो प्रतिलिपि जवाबदावे का संलग्नक 1 है। परिवादी की विद्युत सप्लाई 18 घण्टे अथवा ज्यादा घण्टों की है। जिसके कारण उसका बिल शहरी फीडर की सप्लाई के अनुसार बनाया जाता है जो कि पूर्णतया सही है। परिवादी के द्वारा मीटर खराब होने से सम्बन्धित कोई भी शिकायत पत्र परिवादी अथवा उसके प्रतिनिधि के द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है। परिवादी यदि अपना मीटर चेक कराना अथवा बदलवाना चाहता था तो उसको मीटर चेर्किंग शुल्क अथवा मीटर का निर्धारित शुल्क

आगे जारी है।

जमा कर बदलवाने का अधिकार प्राप्त था। परिवादी के ऊपर बकाया धनराशि अप्रैल 2019 में रु. 28,881/- थी। यदि परिवादी अपना विद्युत कनेक्शन पुनः चालू कराना चाहता है तो बकाया धनराशि रु. 28,881/- को मय मिनिमम चार्ज व लेट पेमेन्ट सरचार्ज के देने की जिम्मेदारी परिवादी की होगी। परिवादी का विद्युत कनेक्शन पर विद्युत सप्लाई शहरी विद्युत सप्लाई की तरह 18 घण्टे प्रदान की जाती रही है। जिसके कारण उसकी बिलिंग शहरी टैरिफ के अनुसार की जा रही है।

विपक्षी द्वारा उपभोक्ता के पी. डी. फाइनल बिल पत्रांक सं. 14079/वि.वि.खं.पु.का.दे. दिनांक 27.12.2022 (का. सं. 9/1 ता 9/8) दिनांक 28.12.2022 को दाखिल किया गया है।

विपक्षी द्वारा परिवादी के अधिकृत अधिवक्ता को पी.डी. फाईनल बिल (कार्यालय ज्ञापन) दिनांक 30.12.2022 को E-Mail के माध्यम से उपलब्ध करा दिया गया था इसकी पुष्टि हेतु फोरम द्वारा भी परिवादी को दिनांक 30.12.2022 अवगत कराया गया। पिछली नियत तिथि दिनांक 07.01.2023 को न तो स्वयं उपस्थित हुए और न ही किसी प्रकार की सूचना उपलब्ध करायी गयी। इसलिये यह परिलक्षित है कि परिवादी फाइनल बिल से पूरी तरह संतुष्ट है। इसलिये पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यो के आधार पर परिवाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

इन्डस टावर लि., छठवी फ्लोर, बी.बी.डी. विराज टावर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) का परिवाद फाइनल बिल की संतुष्टि के कारण निस्तारित किया जाता है। पक्षकार अपना-अपना वाद व्यय स्वयं वहन करें।

(संजीव कुमार गुप्ता)
सदस्य/अनु०

(संतोष कुमार तिवारी) 12/1/23
कार्यवाहक अध्यक्ष/तकनीकी सदस्य

दिनांकः- 12/01/2023

प्रस्तुत आदेश आज हस्ताक्षरित एंव दिनांकित होकर खुले फोरम में उदघोषित किया गया।

(संजीव कुमार गुप्ता)
सदस्य/अनु०

(संतोष कुमार तिवारी) 12/1/23
कार्यवाहक अध्यक्ष/तकनीकी सदस्य

दिनांकः- 12/01/2023

<u>Distribution</u> :- (i) परिवादी (ii) विपक्षी (iii) प्रबंध निदेशक (द.वि.वि.नि.लि.) (iv) मुख्य अभियन्ता (वितरण), कानपुर मण्डल, कानपुर (v) रिकार्ड प्रति